न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 113/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53/48 आरटीए

जसविन्द्र कौर पत्नी श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीया

बनाम्

1. भूपमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. चरणजीत सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री महावीर बेरड़–वकील वादी
2. श्री कुलदीप मूण्ढ़ –वकील प्रति.सं. 1 ता 3

निर्णय

दिनांक :– 30.3.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा यह संशोधित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53/48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 जो कि एक ही चक के काश्तकार है। वादीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 206/119 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.089 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 25/68 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.253 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 147/57 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.632 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 61/29 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की आराजी है। वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने कृषि भूमि के एकीकरण में वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का घरू विभाजन एवं तबादला अच्छी मन्दी अनुसार कर लिया था। मुताबिक घरू विभाजन एवं तबादलानुसार वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 काबिज होकर काश्त कर रहे है। मुताबिक घरू विभाजन एवं तबादलानुसार वादीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 206/119 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.089 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित कर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादीया का नाम कलमजन करवाना चाहती है, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 25/68 जमाबन्दी साम्वत् 2073–76 में 0.253 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करवाना चाहती है, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 147/57 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.632 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 को 0.253 है. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा कम करवाना चाहती है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 61/29 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.759 है. कृषि भूमि में से वादीया को 0.089 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 2 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा कम करवाना चाहती है। इसी तरह की घोषणात्मक डिक्री वादीया प्राप्त करने की अधिकारिणी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है। जिसमें वादीया का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीया के नाम से बंटवारा एवं तबादलानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादीगण के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीया व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बंटवारा एवं तबादला में प्राप्त कृषि भूमि विभाजन अनुसार निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :–

1. वादीया जसविन्द्र कौर पत्नी श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 61/29 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/173	28	6/1/0.089 है. कुल 0.089 है. कृषि भूमि

2. प्रतिवादी सं. 1 भूपमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 147/57 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/173	28	23/1/0.126 है., 23/2/0.127 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि

3. प्रतिवादी सं. 2 चरणजीत सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 61/29 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/173	28	14/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 147/57 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
121/175	50	1/1/0.126 है., 2/1/0.064 है., 2/2/0.189 है. कुल 0.379 है. कृषि भूमि

एक्टर एव

4. प्रतिवादी सं. 3 जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 61/29 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/173	28	4/1/0.139 है., 4/3/0.025 है., 7/0.253 है. कुल 0.417 है. कृषि भूमि

चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 206/119 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/173	28	18/1/0.089 है. कुल 0.089 है. कृषि भूमि

चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 25/68 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/173	28	20/0.253 है.कुल 0.253 है. कृषि भूमि

वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीया का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीया तबादला एवं बंटवारानुसार खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने की अधिकारिणी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीया का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीया ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीया को बंटवारा एवं तबादलानुसार खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस ही यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से उक्त कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 4 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादीया प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा एवं तबादलानुसार वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 काबिज होकर काश्त कर रहे है। मुताबिक घरू विभाजन एवं तबादलानुसार वादीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 206/119 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.089 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीया का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 25/68 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.253 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 147/57 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.632 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 को 0.253 है. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 61/29 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.759 है. कृषि भूमि में से वादीया को 0.089 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 2 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा कम किया जावे एवं वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का खाता अलग से कायम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा मय आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी जसविन्द्र कौर का शपथ–पत्र अर्न्तगत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया, और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी निम्नानुसार प्रदर्श/प्रस्तुत किये गये :–

1. चक 15 एमजेडी खाता संख्या 206/119 ज.स. 2073–76 प्रदर्श–1
2. चक 15 एमजेडी खाता संख्या 25/68 ज.स. 2073–76 प्रदर्श–2
3. चक 15 एमजेडी खाता संख्या 147/57 ज.स. 2073–76 प्रदर्श–3
4. चक 15 एमजेडी खाता संख्या 61/29 ज.स. 2073–76 प्रदर्श–4

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया है। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के अभिभाषक ने बहस में वाद पत्र डिक्री करने पर अपनी सहमति दी।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण सहकाश्तकारों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अपनी जमीनों को इकठा करने के उद्श्य से तबादलानामा किया जाना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 49 में यह प्रावधान है कि कोई खातेदार अभिधारी किसी ऐसे क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो किसी अन्य खातेदार अभिधारी से जोड़ी जाने वाली भूमि का विनिमय कर सकेगा। प्रकरण हाजा में तबादला के अधीन आराजी की किस्म एक सम्मान नहरी है विनिमय होने वाली आराजी की डीएलसी दर भिन्न होने की स्थिति में यदि कोई अन्तर राशि वसूली योग्य है तो पक्षकारान उसका भुगतान करेगें। वाद पत्र को कोई विरोध हमारे सामने नही आने से वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा अनुसार निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को निम्नानुसार आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार इनका खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

1. वादीया जसविन्द्र कौर पत्नी श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 61/29 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/173	28	6/1/0.089 है. कुल 0.089 है. कृषि भूमि

2. प्रतिवादी सं. 1 भूपमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 147/57 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/173	28	23/1/0.126 है., 23/2/0.127 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि

3. प्रतिवादी सं. 2 चरणजीत सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 61/29 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/173	28	14/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 147/57 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
121/175	50	1/1/0.126 है., 2/1/0.064 है., 2/2/0.189 है. कुल 0.379 है. कृषि भूमि

4. प्रतिवादी सं. 3 जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 61/29 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/173	28	4/1/0.139 है., 4/3/0.025 है., 7/0.253 है. कुल 0.417 है. कृषि भूमि

चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 206/119 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/173	28	18/1/0.089 है. कुल 0.089 है. कृषि भूमि

चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 25/68 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/173	28	20/0.253 है.कुल 0.253 है. कृषि भूमि

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 30.3.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया